



MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष

प्रलिस के लिये:

आत्मनिर्भर भारत, MSME, SEBI, वेंचर कैपिटल फंड, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज करना

मेन्स के लिये:

भारत में MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ, संबंधित सरकारी नीतियाँ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लोकसभा में एक लेखित उत्तर के दौरान [आत्मनिर्भर भारत](#) कोष के संबंध में बहुमूल्य अंतरदृष्टि प्रदान की।

आत्मनिर्भर भारत कोष:

■ परिचय:

- [आत्मनिर्भर भारत पैकेज](#) के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने **आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India- SRI)** कोष के माध्यम से **MSME** में इक्विटी निवेश के लिये 50,000 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है।
- SRI फंड, इक्विटी या अर्द्ध-इक्विटी निवेश के लिये **मदर-फंड (Mother-Fund)** और **डॉटर-फंड (Daughter-Fund)** स्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता है।
- **राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NSIC Venture Capital Fund Limited- NVCFL)** को SRI कोष के कार्यान्वयन के लिये **मदर फंड** के रूप में नामित किया गया था।
 - इसे **SEBI** के साथ श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund- AIF) के रूप में पंजीकृत किया गया था।

■ SRI कोष के उद्देश्य:

- व्यवहार्य और उच्च क्षमता वाले **MSME को इक्विटी फंड** प्रदान करना तथा उनके विकास एवं बड़े उद्यमों में परिवर्तन को बढ़ावा देना।
- नवाचार, उद्यमिता एवं प्रतस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।
- तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास और MSME के लिये बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये **अनुकूल वातावरण** बनाना।

■ SRI कोष की संरचना:

- SRI कोष में 50,000 करोड़ रुपये शामिल हैं:
 - विशिष्ट **MSME** में इक्विटी निवेश शुरू करने के लिये भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपये।
 - नजी क्षेत्र की विशेषज्ञता तथा निवेश का लाभ उठाते हुए नजी इक्विटी **Private Equity- PE** और **वेंचर कैपिटल (Venture Capital- VC) फंड** के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये एकत्र किये गए।

नोट:

- **इक्विटी इन्फ्यूजन:** यह मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को अतिरिक्त शेयर जारी करके किसी कंपनी में नई पूंजी या फंड निवेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- **वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund):** यह एक प्रकार का निवेश फंड है जो प्रारंभिक चरण और उच्च विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी प्रदान करता है।
 - उद्यम पूंजी कोष का प्राथमिक उद्देश्य आशाजनक स्टार्टअप की पहचान करना तथा कंपनी में इक्विटी (स्वामित्व) के बदले में उनमें निवेश करना है।

- **SEBI:** यह [भारतीय प्रतभूति और वनियमि बोरड अधिनियम, 1992](#) के प्रावधानों के अनुसार **12 अप्रैल, 1992** को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।
 - SEBI का मूल कार्य प्रतभूतियों में नविशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतभूति बाज़ार को बढ़ावा देना और वनियमिति करना है।

भारत में MSME क्षेत्र की स्थिति:

- **परिचय:**
 - MSME से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से है। भारत का MSME क्षेत्र देश की कुल GDP में लगभग **33%** का योगदान देता है, हालाँकि वर्ष 2028 तक इसका **भारत के कुल निर्यात में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर** का योगदान करने का अनुमान है।

What's MSME

Revised Classification applicable w.e.f 1st July 2020

Composite Criteria: Investment in Plant & Machinery/equipment and Annual Turnover

CLASSIFICATION	MICRO	SMALL	MEDIUM
Manufacturing Enterprises and Enterprises rendering Services	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.1 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 5 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.10 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 50 crore	Investment in Plant and Machinery or Equipment: Not more than Rs.50 crore and Annual Turnover ; not more than Rs. 250 crore

- **महत्त्व:**
 - **रोज़गार सृजन:** MSME लगभग 110 मिलियन रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोज़गार का **22-23%** है।
 - यह [बेरोज़गारी](#) और अल्प-रोज़गार को कम करने, समावेशी विकास के साथ ही निरधनता में कमी लाने में योगदान करता है।
 - **उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा:** MSME क्षेत्र उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है।
 - यह व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करता है, **स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है**, साथ ही नवीन उत्पादों और सेवाओं के विकास में भी योगदान करता है।
 - **ग्रामीण विकास के लिये वरदान:** वृहद् स्तर की कंपनियों की तुलना में **MSME** ने न्यूनतम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में सहायता की है।
- **चुनौतियाँ:**
 - **बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी:** सीमिति वित्त एवं विशेषज्ञता के कारण पुराना बुनियादी ढाँचा और आधुनिक तकनीक तक सीमिति पहुँच MSME की वृद्धि तथा दक्षता में बाधा बन सकती है।
 - उचित परिवहन, वित्त आपूर्ति और संचार नेटवर्क की कमी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।
 - **जटिल वनियामक वातावरण:** बोझिल और जटिल वनियम लघु व्यवसायों के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।
 - कराधान, श्रम, पर्यावरण मानदंड आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों के अनुपालन के लिये समय, प्रयास और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
 - **अपर्याप्त कार्यशील पूंजी प्रबंधन:** कई MSME अपनी कार्यशील पूंजी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में संघर्ष करते हैं।
 - ग्राहकों से होने वाले भुगतान में विलंब और आपूर्तिकर्ताओं के साथ लंबे भुगतान चक्र से नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।
 - **आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता:** MSME क्षेत्र विशेष रूप से आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिये उपयुक्त वित्तीय स्तर नहीं होता है।
- **MSME क्षेत्र के लिये सरकारी पहलें:**
 - **MSME चैंपियंस (CHAMPIONS) स्कीम:** MSME-सस्टेनेबल (ZED), MSME-कंपटीटिव (Lean) और MSME-इनोवेटिव [इनक्यूबेशन, डिजाइन, IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) और डिजिटल MSME] के समायोजन से यह योजना MSME को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता और नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
 - **क्रेडिट गारंटी फंड में नविश:** वर्ष **2023-24 के बजट** के एक भाग के रूप में सरकार ने [सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट](#) के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के नविश की घोषणा की है।
 - **MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और तीव्र करने के लिये (RAMP):** यह पहल केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर MSME कार्यक्रम के तहत संस्थानों और प्रशासन को दृढ़ता प्रदान करने पर केंद्रित है।

- **आयकर अधिनियम में संशोधन:** वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा **आयकर अधिनियम, 1961** की धारा 43B को बदल दिया गया है ताकि **MSME** हेतु अधिक अनुकूल कर संबंधी प्रावधान किये जा सकें।

आगे की राह

- **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस:** MSMEs के लिये '**व्यापार सुगमता**' (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने, नौकरशाही, लालफीताशाही को कम करने और नियामक अनुपालन को सरल बनाने की दशा में लगातार काम करने की आवश्यकता है।
- **मोबाइल इनोवेशन लैब्स:** MSME को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और परामर्श तक पहुँच प्रदान करने के लिये **मोबाइल इनोवेशन लैब स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों**, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जा सके।
 - यह पहल प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने और दूरदराज़ के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी।
- **सरकारी-नजी क्षेत्र सह-नवाचार नधि:** यह **सह-नविश नधिसृजन का समय है, जबकि सरकार नजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी कर MSME नवाचारों में नविश करेगी।**
 - यह सहयोग न केवल नवीन व्यवसायों के विकास का समर्थन करेगा **बल्कि सार्वजनिक-नजी भागीदारी को भी बढ़ाएगा।**
- **नवप्रवर्तन प्रभाव आकलन:** एक **मानकीकृत प्रभाव मूल्यांकन ढाँचा** विकसित करने की आवश्यकता है जो MSME क्षेत्र में हुए नवाचारों के सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को माप सके।
 - ऐसे व्यवसाय जो नवाचारों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं **उन्हें मान्यता और अतिरिक्त समर्थन प्राप्त हो सकता है।**

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रलमिस:

प्रश्न. **वनिरिमाण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतित पहल की है/हैं? (2012)**

1. राष्ट्रीय नविश एवं वनिरिमाण क्षेत्रों की स्थापना
2. एकल खड़िकी मंजूरी (सगिल वडि क्लीयरेंस) की सुविधा प्रदान करना
3. प्रौद्योगिकी अधगिरहण एवं विकास कोष की स्थापना

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (d)

प्रश्न. **नमिनलखिति में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (वर्ष 2011)**

1. स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देना
3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करना

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (A) केवल 1
- (B) केवल 1 और 2
- (C) केवल 2 और 3
- (D) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

प्रश्न. **भारत के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2023)**

1. 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (MSMED) अधिनियम, 2006 के अनुसार, 'जनिका संयंत्र और मशीन में नविश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच है, वे मध्यम उद्यम हैं'।
2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिये गए सभी बैंक ऋण प्राथमकिता क्षेत्रक के अधीन अरह है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (b)

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/self-reliant-india-fund-for-msmes>

